न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/04/2025 | प्रवेश तिथि जीसीएमएस नं0 10.01.2025 2025/6 | निर्णय दिनांक 23.04.2026

1- Union Bank Of India , M-35, Outer Circle, 1st Floor Connaught Circus New Delhi-110001

प्रार्थी

बनाम

1- Sh. Surinder Singh S/o Sh Duli Chand ,
2- Mrs. Asha Devi W/o Sh. Surender Singh,
3- Mr. Dilawer Singh S/o Sh. Surender Singh, House No- 28 , Vpo Sihi Tehsil Manesar Gurgaon, Haryana- 122004 (Borrower/ Guarantor)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, Union Bank Of India , M-35, Outer Circle, 1st Floor Connaught Circus New Delhi-110001 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीयान को दिनांक 30.10.2021 को 27,14,006.05/– अक्षरेन सत्ताईस लाख, चोदह हजारा छ रूपये मात्र/ का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में अप्रार्थी/जमानतदारो द्वारा प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat no 1-17 Ground Floor irish tower, krish crish city Bhiwadi tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Surinder Singh S/o Sh Duli Chand प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 22.12.2021 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Flat No 1-17 Ground Floor Irish Tower, Krish Crish City Bhiwadi Tehsil Tapukada Distt. Kherthaal-Tijara (Rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व"नतपदकमत"पदही"ध्व"ी क्नसप बेंदक का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 22.12.2021 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि दिनांक 30.10.2021 से बकाया 27,14,006.05/– अक्षरेन सत्ताईस लाख, चोदह हजारा छ रूपये मात्र/ एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

बैंक के कब्जे में दिलाये ज़ाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat No 1-17 Ground Floor Irish Tower, Krish Crish City Bhiwadi Tehsil Tapukada Distt. Kherthaal- Tijara (Rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Surinder Singh S/o Sh Duli Chand का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति समस्त Flat no 1-17 Ground Floor irish tower, krish crish city Bhiwadi tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Surinder Singh S/o Sh Duli Chand को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)
खैरथल-तिजारा